

# Order Sheet [Contd]

Case No 140/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
18-04-17	<p>आवेदक/आरोपी छुन्ना उर्फ जाकिर की ओर से श्री बी0एस0 यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय गोहद से प्र0क0 446/2009 ई0फौ0 शा0पु0 गोहद चौराहा वि0 जाकिर उर्फ छुन्ना प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री बी0एस0 यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक उक्त प्रकरण क्रमांक 446/09 ई0फौ0 में जमानत पर था जिसमें कि वह नियत पेशी दिनांक को बाहर गाडी लेकर चले जाने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था और अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अभिभाषक को भी नहीं दे पाया था, जिस कारण उसके जमानत मुचलके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जप्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया था और बाद में उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आवेदक दिनांक 10.04.2017 से अभिरक्षा में है। यदि अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त पेशे से चालक है और गाडी चलाने अहमदाबाद चला गया था। इसी कारण पेशी पर नहीं आ पाया था। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई अन्य नहीं है। इसी आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 09.10.15 को निर्णय के नियत था और निर्णय की स्टेज पर आरोपी अनुपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है। प्रकरण के शीघ्र निकारण संभव है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जाकर शीघ्र निर्णय पारित करे।</p>	

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जावे।  
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद  
जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)